



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2011/माघ 21, 1932

No. 71]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2011/MAGHA 21, 1932

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 82(अ).—जबकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्नलिखित औषधों से मानव के लिए कुछ खतरे होने की संभावना है और जबकि उपर्युक्त औषधों के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं ;

और जबकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यह उक्त औषधों के विनिर्माण, बिक्री और संचितरण पर जनहित में प्रतिबंध लगाना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित औषधों के विनिर्माण, बिक्री और संचितरण पर प्रतिबंध लगाती है, नामतः : —

1. मानव इस्तेमाल के लिए 12 वर्ष की आयु से नीचे की आयु के बच्चों में निमिसुलाइड फार्मुलेशन,
2. मानव इस्तेमाल के लिए सीसाप्राइड और इसके फार्मुलेशन,
3. मानव इस्तेमाल के लिए फेनाइलप्रोपेनोलेमाइन और इसके फार्मुलेशन,
4. मानव इस्तेमाल के लिए ह्युमन प्लेसेन्टल एक्स्ट्रेक्ट और इसके फार्मुलेशन,
5. मानव इस्तेमाल के लिए सिबुट्रामाइन और इसके फार्मुलेशन, और
6. मानव इस्तेमाल के आर-सिबुट्रामाइन और इसके फार्मुलेशन ।

[फा. सं. एक्स. 11014/1/2011-डीएफक्यूसी]

डा. अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2011

G.S.R. 82(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of the following drugs is likely to involve certain risks to human beings and whereas safer alternatives to the said drugs are available ;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said drugs in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drugs with immediate effect, namely :—

1. Nimesulide formulations for human use in children below 12 years of age.
2. Cisapride and its formulations for human use.
3. Phenylpropanolamine and its formulations for human use,
4. Human Placental Extract and its formulations for human use,
5. Sibutramine and its formulations for human use, and
6. R-Sibutramine and its formulations for human use.

[F.No. X. 11014/1/2011-DFQC]

DR. ARUNKUMAR PANDA, Jt. Secy.